

## न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारी:- श्री श्वेता चौहान (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :- 59/2024

अपीलांटगणगण  
1. सिकन्दर खां पुत्र श्री  
मेहरदीन जाति सिन्धी  
मुसलमान, निवासी नूरे की  
भूर्ज, तहसील बाप, जिला  
जोधपुर वर्तमान फलोदी

वनाम

रेस्पोडेन्टस

1. राजस्थान राज्य जरिये भू, अभिलेख  
अधिकारी, तहसीलदार बाप।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम बरखिलाफ आदेश श्रीमान  
तहसीलदार बाप क्रमांक 3327 दिनांकित 16.05.2019 के जरिये अपीलांट की कब्जा सुद भूमि  
के विपरित तरमीम करने के विरुद्ध

उपस्थित वकील :-


अपीलांट की ओर से- अधिवक्ता श्री सिकन्दर घोषी ।

रेस्पोडेन्टस संख्या 01 की ओर से - तहसीलदार स्वयं उपस्थित।

निर्णय


दिनांक:- 11/11/2025

1. यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार बाप क्रमांक 3327 दिनांकित 16.05.2019 के जरिये अपीलांट की कब्जा सुद भूमि के विपरित तरमीम करने के विरुद्ध विरुद्ध अपीलांट द्वारा मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की है।
2. अपीलांटगण की अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है ग्राम नूरे की भूर्ज तहसील बाप के खेत खसरा संख्या 295/435 रकबा 25 बीघा भूमि अपीलांट व उसके भाईयों व बहिनों की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। अपीलांट संख्या 01 के पिता मेहरदीन ने पूर्व में अपनी मृत्यु से पहले उक्त भूमि में से 1.01 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलांट संख्या 02 को दिनांक 10.10.2017 को बेचान कर दी थी। तब से अपीलांटस व उसके भाई उक्त भूमि पर लगातार एक साथ काश्त करते आ रहे हैं। अपील के साथ प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी. भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त कदीमी से चला आ रहा है। जिसे पर अपीलांट प्रतिवर्ष काश्त करते आ रहे हैं। वर्णित भूमि पर अपीलांट ने भूमि को समतल बनाकर ढाणीया बना रखी है। रेस्पोडेन्टस संख्या 01 तहसीलदार भू अभिलेख बाप द्वारा पारित आदेश क्रमांक 3327 दिनांक 06.05.2019 की पालना में अपीलांट की कब्जा सुद खातेदारी की भूमि की तरमीम उसके कब्जे के विपरित अन्य जगह पर कर दी गयी है। उक्त आलौच्य आदेश क्रमांक 3327 दिनांकित 06.05.2019 की पालना में अपीलांट की भूमि ग्राम नूरे की भूर्ज के खसरा संख्या 295/435 रकबा 25 बीघा की तरमीम अपीलांट के कब्जे से भिन्न स्थान पर की गयी को निरस्त करवाने हेतु अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार की होने से धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की है।

  
जिला कलक्टर  
फलोदी

पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री सिकन्दर घोषी के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेण्ट्स की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार बाप के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुआ। तहसीलदार बाप से मूल रेकॉर्ड तलब किया गया। जो प्रमाणित प्रति में प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

4. अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम नूरे की भूर्ज तहसील बाप के खेत खसरा संख्या 295/435 रकबा 25 बीघा भूमि अपीलांट व उसके भाईयों व बहिनों की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है तब से अपीलांटस व उसके भाई उक्त भूमि पर लगातार एक साथ काश्त करते आ रहे हैं। अपील के साथ प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए. बी.सी.डी. भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त कदीमी से चला आ रहा है। जिसे पर अपीलांट प्रतिवर्ष काश्त करते आ रहे हैं। वर्णित भूमि पर अपीलांट ने भूमि को समतल बनाकर ढाणीया बना रखी है। रेस्पोंडेण्टस संख्या 01 तहसीलदार भू अभिलेख बाप द्वारा पारित आदेश क्रमांक 3327 दिनांक 06.05.2019 की पालना में अपीलांट की कब्जा सुद खातेदारी की भूमि की तरमीम उसके कब्जे के विपरित अन्य जगह पर कर दी गयी है। अपीलांट की भूमि पूर्व में अपीलांट के पिता मेहरदीन के नाम दर्ज थी मेहरदीन के नाम दर्ज थी। मेहरदीन की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 937 मेहरदीन के स्थान पर जन्नत पत्नि मेहरदीन, सिकन्दर, मोहम्मद खां, मेहबूब, इलियास, पि0 मेहेदीन सरीफो, रहमत, इमायत पुत्रीया मेहरदीन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। उक्त भूमि का एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा में विचाराधीन था जो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि को राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश किये गये थे उस पर रेस्पोंडेण्टस ने दिनांक 29.08.2019 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 950 उक्त भूमि राजकीय खाते में दर्ज कर दी गयी जिस पर अपीलांट व उसके भाईयों ने श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में म्यूटेशन व न्यायालय हाजा के आदेश को निरस्त करवाने की दो अलग-अलग अपीले प्रस्तुत की गयी थी जिस पर अपील संख्या 166/2019 में माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2019 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 951 की पालना व प्रभाव को स्थगित कर खसरा संख्या 295/435 के रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये थे। वर्णित भूमि पर माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2019 से रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश आज दिन तक यथावत है। फिर भी रेस्पोंडेण्टस ने दिनांक 06.05.2019 को पारित सेग्रिगेशन और कंडस्ट्रल मेप के डिजिटिजेशन के तहत अपीलांट की भूमि की तरमीम उसके कब्जे के विपरित जाकर राजस्व नक्शा में कर दी गयी जो सरासर गलत रूप से की गयी है। रेस्पोंडेण्टस उक्त आलौच्य आदेश की पालना में की गयी गलत तरमीम के आधार पर अपीलांट को बेदखल वकर मौके से हटा देते हैं। तो अपीलांट को भंयकर आर्थिक व मानसिक नुकसान होगा। अपीलांट द्वारा श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में प्रस्तुत अपीलों को कोई महत्व एवं मकसद नहीं रहेगा। जिससे अपीलांट को अपूर्ण क्षति व हानि होगी। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोंडेण्टस द्वारा पारित उक्त आलौच्य आदेश क्रमांक 3327 दिनांकित 06.05.2019 की पालना में अपीलांट की भूमि ग्राम नूरे की भूर्ज के खसरा संख्या 295/435 रकबा 25 बीघा की तरमीम अपीलांट के कब्जे से भिन्न स्थान पर की गयी को निरस्त कर पुनः नये सिरे से उक्त खसरा की भूमि तरमीम अपीलांट

  
जिला कलक्टर  
फलोदी

के मौके एवं कब्जे के अनुसार संलग्न नजरी नक्शों में मार्क ए.वी.सी.डी. अनुसार किये जाने का आदेश फरमावे।

तहसीलदार बाप से प्राप्त रिकार्ड अनुसार डी.आई.एल.आर. एम.पी. के तहत बाप तहसील में जमाबंदी सेग्रीगेशन और केडस्ट्रल में मेप के डिजिटिजेशन का कार्य प्रगति पर है। एवं उक्त कार्य को नियम समयावधि में पूर्ण किये जाने के राज्य सरकार के निर्देशों की पालना की गई है। तरमीम कार्य को समय संबन्धित निरीक्षक /पटवारी को मौके पर जाकर राजस्व रेकर्ड व मौके स्थिति के अनुसार मौका परचा तैयार कर तरमीम की गयी है।

6. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार बाप द्वारा आदेश का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर विचार मनन किया गया। प्रकरण में रेस्पोंडेन्टस संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र बहस धारा 5 म्याद अधिनियम के संबध में कोई विपरित कथन/तथ्य प्रस्तुत नहीं किये है। जबकि अपीलांट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रसंगत आदेश की जानकारी हल्का पटवारी से अवगत होना बताया एवं उसके पश्चात दिनांक 31.08.2022 को अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पोंडेन्टस के द्वारा प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है।

7. प्रकरण में तहसीलदार बाप के आदेश क्रमांक 3327 दिनांकित 16.05.2019 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर फलोदी द्वारा अपील 166/2019 में पारित आदेशानुसार ग्राम चूरे की भुर्ज तहसील बाप के खसरा संख्या 295/435 रकबा 25 बीघा भूमि का आंवटन दिनांक 19.06.1971 को निरस्त किया गया है। उक्त रकबा 25 बीघा भूमि राजकीय खाता में दर्ज है। जिसकी अपील अपीलांट ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में विचाराधीन हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा में लम्बित उक्त अपील प्रकरण औचित्य विहिन हो गया है। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में विधिक तौर पर कोई भी आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रकरण को निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

8. निर्णय आज दिनांक ..... 21/11/2023 सरेइजलास सुनाया गया।



श्वेता चौहान  
(आई.ए.एस.)

जिल्ला कलक्टर, फलोदी